फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 11/2016 अनवान कमलादेवी वगैरा बनाम सांकलाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.)

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
8	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री ओमदवे उपस्थित। वकील प्रतिवादी हेमन्त बोहरा उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि वकील प्रतिवादी श्री हेमन्त बोहरा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के माध्यम से दलील दी जा रही हैं कि वादीगण ने उक्त वाद सरहद मौजा भन्दर स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 96, 99, 100, 102 कुल रकबा 3.22 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण के पति एवं पिता देवाराम के पिता भाना की खातेदारी घोषणा एवं चेना का गलत पुत्र सदा उर्फ खसा बता कर उसके स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने का वाद पेश किया है, जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि गत् सैटलमेंट से ही प्रतिवादीगण के पूर्वज व पिता पनीया, सदा पि0 चेला के नाम से जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 में दर्ज थी। जबकि प्रतिवादी के दादा चेना के दो पुत्र पनीया व वना के नाम से दर्ज थी, प्रतिवादी के दादा चेना के खसा उर्फ सदा नाम का कोई पुत्र नहीं था। राजस्व रेकर्ड में सदा का नाम गलत दर्ज होने से उसके स्थान पर वना का नाम नामान्तरकरण संख्या 52 से शुद्ध नाम वना दर्ज किया गया। जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 की फोटो प्रमाणित प्रति पेश की गई। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं होने से उक्त वाद बिना वाद कारण के प्रस्तुत किया जाने से विधि अनुसार चलने योग्य नहीं होने खारिज किये जाने की दलील दी। वकील प्रतिवादी की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील वादी श्री ओमदवे द्वारा दलील दी जा रही हैं कि वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा भन्दर के हाल खसरा नंबर 96, 99, 100, 102 रकबा 3.20 हैक्टर में वादीगण के पूर्वज पति, पिता भाना हकदार होने से वादीगण द्वारा उक्त घोषणा खातेदारी का वाद पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज चेना के पुत्र पनीया व खसा उर्फ सदा के नाम दर्ज थी तथा उक्त खातेदार खसा उर्फ सदा के उत्तराधिकारी वना व देवा के पिता भाणा व पनीया थे तथा उसी हिस्से के वादीगण व प्रतिवादीगण आज भी काबिज होते हुए काश्त कर रहे हैं। वादीगण के पूर्वज भाणा, खातेदार सदा उर्फ खसा का सगा भाई होने से सदा उर्फ खसा के हिस्से की अराजी का 1/3 हिस्सा का हकदार हैं। तथा 1/3 हिस्सा पनीया के वारिसदार, 1/3 हिस्सा वना के वारिसदार का हक आया हुआ है, जो कि वादीगण द्वारा साक्ष्य में साबित किया जायेगा। प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवाबदावा से बचने के ईरादे से गलत रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश कर खारिज किये जाने की मांग की जा रही है, जो विधि सम्मत नहीं है, प्रतिवादी को अपना उजर जवाबदावा में लेना चाहिये, साक्ष्य के विषय को प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रतिवादी खारिज किये जाने की दलील दी गई। दोनो पक्षो की दलीलो पर मनन के पश्चात् संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में आदेश 07 नियम 11 में वर्णित प्रावधानो का अवलोकन किया गया। **आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसारः–** **11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना–** वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

(क) जहां वह वाद--हेतुक प्रकट नहीं करता है।
(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता हैं
(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक हैं किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प--पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,
(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता हैं कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
(ड) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है,
(च) जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है,
(छ) जहां वादी नियम 9(3) की अनुपालना करने में असमर्थ रहा हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में आदेश 07 नियम 11 में उल्लेखित कारणो के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं है कि वादी का उक्त वाद आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. से वाधित है। वादीगण ने उक्त घोषणा खातेदारी का वाद अपने पूर्वज भाणा, खातेदार सदा उर्फ खसा का सगा भाई होने से सदा उर्फ खसा के हिस्से की अराजी का 1/3 हिस्सा का हकदार होने तथा 1/3 हिस्सा पनीया के वारिसदार, 1/3 हिस्सा वना के वारिसदार अधिकारी होने से उक्त वाद पेश किया है, जो कि वादीगण द्वारा साक्ष्य में सावित किया जायेगा। प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवावदावा से बचने के ईरादे से गलत रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश कर वाद को खारिज किये जाने की मांग की जा रही है, जो विधि सम्मत नहीं है, प्रतिवादी को अपना उजर जवावदावा में लेना चाहिये, साक्ष्य के विषय को प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, जिससे इस स्टेज पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. हस्तगत् प्रकरण की परिस्थितियों पर सटीक नहीं होने से खारिज किया जाता है। वकील प्रतिवादी सी.पी.सी. के प्रोविजो अनुसार जवावदावा शीघ्र पेश करे। प्रकरण में चूँकि प्रतिवादी संख्या--02 व 5(ब) की मृत्यु होने से उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु कायम मुकाम प्रार्थना पत्र भी अपेक्षित है। अतः वकील वादी कायम मुकाम प्रार्थना पत्र कायम मुकाम की तलबी हेतु पी.एफ. सम्मन शीघ्र पेश करे, तथा साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादी जवादावा भी पेश करे। मिसल वास्तेः--

1. प्रस्तुती कायम मुकाम प्रार्थना पत्र व तलबी कामु. एवं
2. वास्ते जवावदावा दिनांक 1-10-2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner